न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

निष्कासन वाद सं0–91/2011

CIS NO. EVI. 03/2018

विनोद कुमार मिश्र.....वादी

बनाम

शिवरतन राउत.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
28.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी की ओर आवेदन दिनांक 08.08.2019 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 28.01.2025 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि बदौरान मुदालह स्थापित दखल कब्जा देखकर अंचल कार्यालय ने पी0पी0 सेटलमेंट बावत विवादित जायदाद के कर दिया है अब मुदालह को विशेष रैयती हक उपर सैय एराजी तकरारी पर प्राप्त हो गया है जिसे बयान तहरीरी में लाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन महज औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई असर नही पडता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। वादी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 05.09.2019 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी ने वाद प्रतिवादी को अपने मकान से खाली कराने वास्ते निष्कासन वाद दाखिल किया है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती पक्का निर्माण करने को लेकर अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>निष्कासन वाद सं0–91/2011</u>

<u>CIS NO. EVI. 03/2018</u>

विनोद कुमार मिश्र.....वादी

बनाम

शिवरतन राउत.....प्रतिवादी

लगातार 28.01.2025	किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 08.08.2019 स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा संशोधन उपरांत सिरिस्तेदार अपना प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद दिनांक 25.02.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	